उत्तराखंड की यूसीसी मसौदा रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये :

समान नागरिक संहिता (UCC), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

मेन्स के लिये:

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में समान नागरिक संहिता (UCC) मसौदा रिपोर्ट को **उत्तराखंड मंत्रिमंडल** द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे अधिनियमन के लिये विधेयक के रूप में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

- UCC मसौदा समिति का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त **न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई** ने किया।
- UCC **उत्तराखंड के सभी निवासियों,** चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, **के लिये** सामान्य कानूनों का एक प्रस्तावित सेट है।

नोट:

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 162** स्पष्ट करता है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तृत है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून निर्माण की शक्ति है। सातवीं अनुसूची की **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के प्रावधानों** को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता (UCC) को क्रियान्वित तथा कार्यान्वित करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकार क्षेत्र से बाहर के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
    - **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5** "विवाह और तलाक" शिशु तथा नाबालिग; दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत एवं उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार व विभाजन से संबंधित है, सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।
- इसका अर्थ यह है कि **उत्तराखंड राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर UCC अधिनियमित कर सकती** है।

उत्तराखंड की UCC मसौदा रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- UCC का लक्ष्य संविधान के **अनुच्छेद 44** द्वारा निर्देशित, विवाह, तलाक,दत्तक और विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हर धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलना है।
    - संविधान **अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP)** है। इसमें कहा गया है कि राज्य को संपूर्ण **भारत में सभी नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास** करना चाहिये।
    - यह मसौदा **व्यक्तिगत कानूनों का एक एकल सेट** होगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
- समिति द्वारा पेश किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में **बहुविवाह, हलाल,** इद्दत (मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा की जाने वाली प्रतीक्षा की अनिवार्य अवधि), **तीन तलाक** एवं **बाल विवाह** पर प्रतिबंध, लड़कियों के लिये समान उम्र के साथ ही **'सभी धर्मों में विवाह तथा लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण** शामिल हैं।
- UCC के मसौदे का उद्देश्य विरासत तथा विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करके लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है।
    - इस मसौदे में **मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति**

हसि्सेदारी का वसि्तार करने की भी संभावना है।
    - पुरुषों और महलिाओं के लयि विवाह की न्यूनतम आयु एक समान रखी गई है, **महलिाओं के लयि 18 वरष एवं पुरुषों के लयि 21 वरष** है।
- [अनुसूचति जनजात (ST)](#) को इस वधियक के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य में आदवािसी आबादी जो **लगभग 3%** है, उन्हें दयि गए वशिष दर्जे के कारण UCC के खलिाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।

उत्तराखंड की UCC मसौदा रपोिर्ट के संबंध में क्या चतिाएँ हैं?

- UCC मसौदा रपोिर्ट भारत के संवधिान द्वारा गारंटीकृत धार्मकि स्वतंत्रता तथा वैयक्तकि स्वतंत्रता के [मौलकि अधकिारों](#) **का उल्लंघन** कर सकती है।
    - कुछ आलोचकों का तर्क है क UCC मसौदा रपोिर्ट भारत की ववििधिता तथा बहुलवाद के अनुरूप नहीं है एवं एक समान संहतिा कार्यान्वति करने का प्रावधान है जो वभिन्नि समुदायों के रीत-िरविाज़ों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।
- यूसीसी ड्राफ्ट रपोिर्ट से **उत्तराखंड के ST के अधकिारों और हतिों** पर असर पड़ सकता है।
    - कुछ कार्यकर्त्ताओं का दावा है क **UCC मसौदा रपोिर्ट ST के मुद्दों और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से संबोधति नहीं करती है** तथा उनकी सांस्कृतकि पहचान एवं स्वायत्तता को नष्ट कर सकती है।

समान नागरकि संहतिा क्या है?

- **परचिय:**
    - समान नागरकि संहतिा का **उल्लेख भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 44** में कयिा गया है, जो [राज्य की नीत कि निदिेशक तत्त्व](#) (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
        - हालाँक संिवधिान नरि्माताओं ने UCC को लागू करने का कार्य सरकार के ववििक पर छोड़ दयिा था।
    - **गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरकि संहतिा लागू है** । वरष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारविारकि कानून को बनाये रखा, जसि गोवा नागरकि संहतिा (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- **UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:**
    - **मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (वरष 1985) मामला:**
        - न्यायालय ने कहा क **"यह अफसोस की बात है क अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है"** और इसके कार्यान्वयन का आह्वान कयिा।
        - इस तरह की मांग बाद के मामलों जैसे ***[illegible], 1995*** और ***[illegible], 2003*** में दोहराई गई थी।
- **वधिआयोग का रुख:**
    - वरष 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सहि चौहान की अध्यक्षता वाले **21वें वधि आयोग** ने "पारविारकि वधि मिं सुधार" पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत कयिा, जसिमें यह माना गया क **"इस स्तर पर समान नागरकि संहतिा का नरि्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय"**।
        - इसने रेखांकति कयिा क **धर्मनरिपेक्षता को देश में प्रचलति बहुलता के साथ सह-अस्तति्व में रहना चाहयि** । हालाँक इिसने सफिारशि की क मिौजूदा व्यक्तगित कानूनों/पर्सनल लॉ के भीतर **भेदभावपूर्ण प्रथाओं तथा रूढ़वािदति में संशोधन कयिा जाना चाहयि**।
    - प्रारंभकि परामर्श पत्र जारी होने के बाद तीन वरष से अधकि समय बीत जाने को स्वीकार करते हुए वरष 2022 में, न्यायमूर्ति (सेवानवृित्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले **22वें वधि आयोग** ने एक अधसिूचना जारी कर UCC पर सार्वजनकि और धार्मकि संगठनों सहति वभिन्नि हतिधारकों से राय मांगी।

और पढ़ें: [न्यायपूर्ण (समान) नागरकि संहतिा](#)

वधिकि दृष्टकिोण:

[समान अधकिार, कानून नहीं](#)

https://www.drishtijudiciary.com/hin/

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

[illegible]:

भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिये: (2012)

1. भारतीय नागरिकों के लिये समान नागरिक (सिविल) संहिता सुरक्षित करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
4. सभी श्रमिकों के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सिद्धांत हैं, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में प्रतिबिंबित होते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? (2021)

(a) अनुच्छेद14
(b) अनुच्छेद 28
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। (2015)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-s-ucc-draft-report